

II/निर्ग ०/सत्ना /2018/० ३५८

न्यायालय मानीय राजस्व माइल म.प्र. न्यायालय र सर्विटकोटी

रीवा म.प्र.

1330/-



१. अधिकारी द्विंद तथा रामदेव द्विंद उम ५४ वर्ष पेशा खेती

अधिकारी महेन्द्र सिंह
द्वारा पेशा २३-२-१८

२. तीरु द्विंद तथा रामदेव द्विंद उम ५४ वर्ष पेशा खेती

दोनों नवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन, जिला सतना

म.प्र. ०

अधिकारी गण

// बनाम //

पूर्वमती पत्नी राजीवलोचन द्विंद उम कर्णि ५० वर्ष पेशा खेती

नवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन, जिला सतना म.प्र.

मनावेदिका

निराननी विलद सीमांकन अदिक राजस्व

निरीक्षा वृत्त मौहारी कटरा तहसील

अमरपाटन जिला सतना म.प्र. ० दिनांक

२०/०६/२०१७ जो सीमांकन प्रकरण ५०-

४४/३१२/२५६-१७ के पारित किया

जाकर अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांक-

न की पुष्टि की गई ।

निराननी अन्तर्गत फा.रा-५० म.प्र.० ५

राजस्व सुहिता- १९५९ ई०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग 0 / सतना / 2018 / 01358

जिला-सतना

अखिलेश सिंह / फूलमती सिंह

(1)	(2)	(3)
18.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहप्रित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	